पर्यावरणीय और सामाजिक कर्तव्य हेतु उचित परिश्रम का आकलन
क्लीनटेक सोलर

खुलासा करने के लिए संक्षिप्त

जुलाई 2018

विषवस्तु की तालिका

1. परिचय 1
1.1 पृष्ठभूमि 1
1.2 इस दस्तावेज़ का उद्देश्य 1
2. उद्देश्य और कार्यप्रणाली 2
3. पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ फ़्रेमवर्क 3
3.1 लागू राष्ट्रीय विधान 3
3.2 आईएफसी के प्रदर्शन के मानक 5
4. परियोजना का संक्षिप्त विवरण 7
4.1 परियोजना 7
4.2 पर्यावरणीय और सामाजिक अवलोकन 8
5. पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों/प्रभावों का आकलन 10
6. परियोजना जोखिम श्रेणी 15
7. पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी) 16
8. निष्कर्ष 17

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: परियोजना के लिए आईएफसी पीएस की प्रयोज्यता 5
तालिका 2: जुलाई 2018 तक क्लीनटेक की वर्तमान परिसंपत्तियों की स्थिति 8
तालिका 3: पर्यावरण एवं सामाजिक जोखिमों/प्रभावों का आकलन 11
तालिका 4: जोखिम श्रेणी परिभाषा 15
तालिका 5: पर्यावरण एवं सामाजिक जोखिम/प्रभाव न्यूनीकरण उपाय 19

आंकड़ों की तालिका

चित्र 1: क्लीनटेक सोलर रूफटॉप परियोजनाओं का स्थान 1
चित्र2: सुरक्षा प्रशिक्षण वीडियो 9

आदिवर्णिक और संक्षिप्त नाम

सी एंड आई	वाणिज्यिक और औद्योगिक
सीईआईजी	सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षणालय
सीएफएम	जलवायु निधि प्रबंधक यू. ए.
सीआई 1	क्लाइमेट इन्वेस्टर वन
ई एंड एस	पर्यावरण और सामाजिक (एचएसएसई के साथ विनिमेय)
ईपीसी	इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण
ईएसएपी	पर्यावरण एवं सामाजिक कार्य योजना
ईएसजी	पर्यावरण और सामाजिक अभिशासन
ईएसएमएस	पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली
एफपीआईसी	नि:शुल्क, पूर्व और सूचित सहमति
जीआईआईपी	अच्छा अंतर्राष्ट्रीय उद्योग अभ्यास
एचआर	मानव संसाधन
एचएसई	स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण
एचएसएसई	स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक और पर्यावरण (पर्यावरण एवं सामाजिक के साथ विनिमेय)
आईसी	निवेश समिति
आईएफसी पी.एस	अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम प्रदर्शन मानक
आइएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
के.पी.आई	मुख्य निष्पादन संकेतक
एमएसआईएचसी	खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
ओ एंड एम	संचालन और रखरखाव
ओएचएस	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
पीवी	फोटोवोल्टिक
टीयूवी	टीयूवी रीनलैंड (इंडिया) प्रा. लिमिटेड ("टीयूवी"), भारत में स्थित एक तकनीकी और सुरक्षा सेवा सलाहकार फर्म
यूएन	संयुक्त राष्ट्र

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

क्लाइमेट इन्वेस्टर वन (सीआई 1) भारत में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स ("परियोजना") के पोर्टफोलियो में निवेश के अवसर पर विचार कर रहा है ("परियोजना"), जिसे क्लीनटेक सोलर एशिया प्राइवेट लिमिटेड ("क्लीनटेक" या "द कंपनी") द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्लीनटेक सोलर एक नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर है, जो सौर परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करती है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, क्लीनटेक भारत और दक्षिणपूर्व एशिया में काम करती है और भारत में इसकी एक ऑन-द-ग्राउंड परियोजना टीम है। सीआई 1 के निवेश से भारत में चुनिंदा क्लीनटेक सोलर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए इक्विटी निवेश किया जाएगा (देखें चित्र 1)।

चित्र 1: क्लीनटेक सोलर रूफटॉप परियोजनाओं का स्थान

1.2 इस दस्तावेज़ का उद्देश्य

जलवायु निधि प्रबंधक (सीएफएम), सीआई 1 की ओर से और सीएफएम पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) की ज़रूरतों के अनुसार, निवेश से पहले की उचित परिश्रम और निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत निवेश के संभावित अवसरों से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक (पर्यावरणीय और सामाजिक) जोखिमों और प्रभावों का आकलन करते हैं। सीएफएम ने टीयूवी रीनलैंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ("टीयूवी") को नियुक्त किया, जो

भारत में स्थित एक तकनीकी और सुरक्षा सेवाओं की सलाहकार फर्म है, ताकि इस आकलन और सीएफएम के निवेश-पूर्व निर्णय लेने की जानकारी देने के लिए क्लीनटेक का बाहरी तकनीकी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी 'लाल झंडे' का उचित आकलन किया जा सके। बाहरी उचित परिश्रम (ड्यू डिलिजेंस) आकलन को सीएफएम की अपनी आंतरिक पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) उचित परिश्रम से समर्थन मिला।

यह दस्तावेज़ सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए सीएफएम के क्लीनटेक के उचित परिश्रम आकलन के परिणाम और साथ ही टीयूवी के निष्कर्षों और सुझावों को प्रस्तुत करता है, जैसा कि 24 जुलाई 2018 की उनकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसे सीएफएम द्वारा आंतरिक इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था।

2. उद्देश्य और कार्यप्रणाली

पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम आकलन का उद्देश्य परियोजना से जुड़े संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों, पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ फ़्रेमवर्क के संबंध में मौजूद किसी भी कमी को उजागर करना (नीचे अनुभाग 3 देखें), और सीएफएम द्वारा अपनी निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार की जाने वाली किसी भी घातक खामी या 'लाल झंडे' की पहचान करना है।

निवेश से पहले के उचित परिश्रम (ड्यू डिलिजेंस) के दौरान पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम आकलन के लिए सीएफएम का दृष्टिकोण और प्रक्रिया इसके ईएसएमएस में निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के मुख्य चरणों में शामिल हैं:

- संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग;
- परियोजना के लिए प्रारंभिक समग्र जोखिम श्रेणीकरण निर्दिष्ट करना (अधिक जानकारी के लिए सेक्शन 6 देखें);
- निवेश समिति (आईसी) को मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत किए गए पहले (डील स्क्रीन) पेपर में पर्यावरणीय और सामाजिक स्क्रीनिंग के निष्कर्ष शामिल करना;
- संदर्भ फ़्रेमवर्क के विरुद्ध परियोजना के आंतरिक पर्यावरण एवं सामाजिक उचित परिश्रम (यानी सीएफएम इन-हाउस ईएसजी टीम द्वारा आकलन) का संचालन करना;
- परियोजना के बाह्य पर्यावरण एवं सामाजिक उचित परिश्रम का आकलन करने के लिए एक सलाहकार को नियुक्त करना;
- परियोजना के लिए समग्र जोखिम वर्गीकरण की पुष्टि करना;
- अनुमोदन के लिए निवेश समिति (आईसी) को प्रस्तुत किए गए अंतिम निवेश पेपर में पर्यावरणीय और सामाजिक उचित परिश्रम निष्कर्षों को शामिल करना; और
- महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम/प्रभावों को दूर करने और पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ फ़्रेमवर्क का अनुपालन न किए जाने पर ज़रूरी उपायों के बारे में बताते हुए एक पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी) तैयार करना।

सीएफएम/सीआई 1 की ओर से सीएफएम और टीयूवी द्वारा किए गए पर्यावरणीय और सामाजिक कर्तव्यों हेतु उचित परिश्रम आकलन के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल थे:

- मौजूदा परियोजना दस्तावेज़ों की समीक्षा, जिसमें क्लीनटेक के ईएमएस से संबंधित दस्तावेज़ और उनके कार्यान्वयन से संबंधित दस्तावेज़, साथ ही उनकी मौजूदा संपत्तियों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज़ शामिल हैं;
- भारत में क्लीनटेक की मौजूदा संपत्तियों के लिए साइट विज़िट करना;
- प्रमुख अंदरूनी (क्लीनटेक) हितधारकों के साथ साक्षात्कार;
- अनुपालन संबंधी कमियों की पहचान करने के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ फ़्रेमवर्क की ज़रूरतों के अनुसार परियोजना का आकलन करना;
- परियोजना से जुड़े प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की पहचान करना और संभावित घातक खामियों या 'लाल झंडों' की पहचान करने के लिए पहचाने गए प्रत्येक जोखिम के महत्व (निम्न, मध्यम या उच्च) का आकलन करना;
- अनुपालन संबंधी कमियों, प्रमुख पहचाने गए जोखिम/प्रभावों या 'लाल झंडों' को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों की पहचान करना; और
- समग्र जोखिम श्रेणीकरण की पुष्टि।

3. पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ फ़्रेमवर्क

सीएफएम ज़िम्मेदार निवेशों के लिए प्रतिबद्ध है, और यह इस बात की आवश्यकता नियत करता है कि जिन सभी परियोजनाओं में वह सीआई 1 फंड का निवेश करता है, उनमें सभी लागू राष्ट्रीय विधायी ज़रूरतों के साथ-साथ पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव आकलन और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास मानकों का पालन किया जाए। ख़ास तौर पर, सीएफएम के लिए यह ज़रूरी है कि सीआई 1 फंड प्राप्त करने वाली सभी परियोजना के लिए निम्नलिखित संदर्भ फ़्रेमवर्क का पालन किया जाए:

- स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक और पर्यावरण (एचएसएसई) के मुद्दों, जिनमें श्रम और काम करने की स्थितियाँ शामिल हैं, पर लागू राष्ट्रीय कानून – अनुभाग 3.1 देखें;
- पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के प्रदर्शन मानक (पीएस) (2012) – अनुभाग देखें; 3.2
- विश्व बैंक समूह के सामान्य और उद्योग क्षेत्र के सभी लागू पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) दिशानिर्देश – ये तकनीकी संदर्भ दस्तावेज़ हैं जिनमें गुड इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्रैक्टिस (GIIP) के सामान्य और उद्योग-विशिष्ट उदाहरण हैं जिन्हें आईएफसी पीएस में संदर्भित किया गया है;
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) मुख्य श्रम मानक और काम के बुनियादी नियम एवं शर्तें; और
- मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक और संयुक्त राष्ट्र (UN) व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत।

3.1 लागू राष्ट्रीय विधान

परियोजना में मौजूदा पोर्टफोलियो और पाइपलाइन में क्लीनटेक के भारत में मौजूद परियोजना शामिल हैं। लागू कानूनों का सारांश नीचे दिया गया है: -

- सरकारी प्रस्ताव सं. विविध - 03/2015/C.N.34/A-2 12 मई 2015 और 30 सितंबर 2015 को निजी बातचीत के ज़रिये सीधी ख़रीदारी के लिए
- नए और नवीकरणीय (गैर-पारंपरिक) ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रिड से जुड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र की व्यापक नीति, 2015
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और जैसा कि संशोधित किया गया है
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जैसा कि संशोधित किया गया है
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, जैसा कि संशोधित किया गया है
- शोर (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और जैसा कि 2010 तक संशोधित किया गया था
- अपशिष्ट प्रबंधन
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 जैसा कि संशोधित किया गया है
- खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवागमन) नियम, 2016 जैसा कि संशोधित किया गया है
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
- खतरनाक रसायनों का भंडारण
- खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण और आयात (एमएसआईएचसी) नियम, 1989 और जैसा कि उनमें बदलाव किया गया है
- कारखाना अधिनियम, 1948 और महाराष्ट्र कारखाना नियम, 1963 जैसा कि संशोधित किया गया है
- अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और केंद्रीय नियम 1975
- अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोज़गार विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- भारतीय मातृत्व लाभ (संशोधन अधिनियम), 2017
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- निजी सुरक्षा एजेंसियां (विनियमन) अधिनियम, 2005
- भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996; और भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम के तहत उपकर का भुगतान।

ईआईए अधिसूचना 2006 भारत में ईआईए की आवश्यकता के लिए प्रासंगिक कानून है। ज़रूरत के मुताबिक, ईआईए का आकलन किया जाना चाहिए और पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंज़ूरी ली जानी चाहिए। हालाँकि,

सोलर परियोजनाओं को ईआईए की मंज़ूरी प्राप्त करने से छूट दी गई है। हर परिसंपत्ति के लिए क्लीनटेक को निम्नलिखित स्वीकृतियां लेनी होंगी:

- वितरण कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
- सरकार के मुख्य बिजली निरीक्षणालय (CEIG)
- स्टेट नोडल एजेंसी की ओर से स्वीकृति, ज़रूरत के मुताबिक

3.2 आईएफसी के प्रदर्शन के मानक

सीएफएम/सीआई1 ईएसएमएस के अनुसार, सीआई1 फंड प्राप्त करने वाली सभी परियोजनाओं को आईएफसी प्रदर्शन मानकों (पीएस) की लागू आवश्यकताओं के अनुसार अपना संचालन करना आवश्यक है। आठ प्रदर्शन मानकों (पीएस) और परियोजना के लिए उनकी प्रयोज्यता के बारे में तालिका 1 नीचे बताया गया है।

तालिका 1: परियोजना पर आईएफसी पीएस की प्रयोज्यता

आईएफएस पीएस	ज़रूरतों का सारांश	परियोजना के लिए प्रयोज्यता
पी1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन	• पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों को पहचानें और उनका आकलन करें; • पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों और प्रबंधन कार्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए एक उपयुक्त पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) विकसित करें और उसे लागू करें, ताकि व्यवसाय संचालन पर पड़ने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों को दूर किया जा सके। • ईएमएस में बाहरी शिकायत तंत्र के प्रावधान शामिल करें।	सभी क्लीनटेक परिचालनों पर **लागू** है, जिसमें परिसम्पत्ति स्तर भी शामिल है
पीएस2: श्रम और काम करने की परिस्थितियाँ	• कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करें। • काम करने की सुरक्षित और स्वस्थ स्थितियाँ प्रदान करें। • बाल श्रम या जबरन श्रम के इस्तेमाल से बचें, • प्राथमिक सप्लाई चेन में जोखिमों को पहचानें। (आवश्यकताएँ आईएलओ और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कन्वेंशन के हिसाब से तय होती हैं)	परिसंपत्ति के स्तर सहित, क्लीनटेक के सभी परिचालनों पर **लागू** है।
पीएस3: संसाधन दक्षता और प्रदूषण में कमी	• ऊर्जा और पानी सहित संसाधनों के ज़्यादा टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ावा देना; • परियोजना गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के संभावित प्रतिकूल प्रभावों से बचने या उन्हें कम करने के लिए प्रथाओं और तकनीकों को एकीकृत करें।	परिसम्पत्ति-स्तर पर **लागू** है, लेकिन क्लीनटेक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में जोखिम के परिसंपत्ति स्तर के प्रबंधन के लिए पर्याप्त ज़रूरतें इसके ईएमएस में शामिल हों।

आईएफएस पीएस	ज़रूरतों का सारांश	परियोजना के लिए प्रयोज्यता
पीएस4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा	• पर्याप्त आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना, कर्मियों और संपत्ति की ज़िम्मेदारी से सुरक्षा करके और सुरक्षा उपायों को डिज़ाइन में शामिल करके स्थानीय समुदायों के लिए जोखिम कम करने के लिए ज़िम्मेदार तरीके अपनाएं।	परिसम्पत्ति-स्तर पर **लागू** है, लेकिन क्लीनटेक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में जोखिम के संपत्ति स्तर के प्रबंधन के लिए पर्याप्त ज़रूरतें इसके ईएमएस में शामिल हों।
पीएस5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास	• जहाँ भी संभव हो, अनैच्छिक पुनर्वास से बचें और जहाँ टालना संभव न हो, उचित मुआवज़े और आजीविका में सुधार जैसे उपायों के ज़रिये होने वाले असर को कम करें।	रूफटॉप सोलर परियोजनाओं **पर लागू होने की संभावना नहीं** है और क्लीनटेक किसी परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले इसकी पुष्टि करेगा। परियोजना के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं होगी (छत के इस्तेमाल के लिए प्रॉपर्टी के मालिक के साथ एक अनुबंध पर बातचीत की जाती है) और इसलिए कोई भौतिक और/या पुनर्वास प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है। अगर भविष्य की किसी भी परियोजना पाइपलाइन संपत्ति में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हों, जिनमें भौतिक या आर्थिक विस्थापन की ज़रूरत हो, तो क्लीनटेक ईएमएस को अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि इस संबंध में जोखिमों और प्रभावों के संपत्ति स्तर के प्रबंधन की ज़रूरतों को शामिल किया जा सके।
पीएस6: जैव विविधता संरक्षण और जीवन के प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन	• जैव-विविधता को सुरक्षित रखें और उसका संरक्षण करें। • इकोसिस्टम सेवाओं के फ़ायदों को बनाए रखें। • संरक्षण की ज़रूरतों और विकास की प्राथमिकताओं को एकीकृत करने वाली प्रथाओं को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा दें।	रूफटॉप सोलर परियोजनाओं **पर लागू होने की संभावना नहीं** है और क्लीनटेक किसी परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले इसकी पुष्टि करेगी। क्लीनटेक परिसंपत्तियों से जैव विविधता या जीवित प्राकृतिक संसाधनों के लिए खतरा होने की संभावना नहीं है। अगर भविष्य में परियोजना पाइपलाइन की कोई भी संपत्ति इस संबंध में जोखिम पैदा करती है, तो ऐसे जोखिमों के लिए परिसंपत्ति स्तर के प्रबंधन की ज़रूरतों को शामिल करने के लिए क्लीनटेक ईएमएस को अपडेट किया जाना चाहिए।

आईएफएस पीएस	ज़रूरतों का सारांश	परियोजना के लिए प्रयोज्यता
पीएस7: स्वदेशी लोग (आईपी)	• स्वदेशी लोगों के समुदायों पर प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाएं और उनसे बचें, या जहां बचाव संभव नहीं है, प्रतिकूल प्रभाव को कम करें। • मानव अधिकारों, गरिमा और स्वदेशी लोगों की संस्कृति के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। • सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से स्वदेशी लोगों के लिए टिकाऊ विकास लाभों को बढ़ावा दें। • स्वदेशी लोगों के समुदायों के बारे में सूचित परामर्श और भागीदारी को बढ़ावा दें। कुछ परिस्थितियों में, मुफ़्त, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) ज़रूरी होती है।	रूफटॉप सोलर परियोजनाओं **पर लागू होने की संभावना नहीं** है और क्लीनटेक किसी परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले इसकी पुष्टि करेगी। क्लीनटेक परिसंपत्तियों से स्वदेशी लोगों के समुदायों के लिए जोखिम होने की संभावना नहीं है। अगर भविष्य में परियोजना पाइपलाइन की कोई भी संपत्ति इस संबंध में जोखिम पैदा करती है, तो ऐसे जोखिमों के लिए परिसंपत्ति स्तर के प्रबंधन की ज़रूरतों को शामिल करने के लिए क्लीनटेक ईएमएस को अपडेट किया जाना चाहिए।
पीएस8: सांस्कृतिक विरासत	• परियोजना की गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखें और इसके संरक्षण में सहायता करें। • सांस्कृतिक विरासत के इस्तेमाल से होने वाले लाभों के न्यायसंगत बंटवारे को बढ़ावा दें।	रूफटॉप सोलर परियोजनाओं **पर लागू होने की संभावना नहीं** है और क्लीनटेक किसी परियोजना के साथ आगे बढ़ने से पहले इसकी पुष्टि करेगी। क्लीनटेक परिसंपत्तियों से स्वदेशी लोगों के समुदायों के लिए जोखिम होने की संभावना नहीं है। अगर भविष्य में परियोजना पाइपलाइन की कोई भी संपत्ति इस संबंध में जोखिम पैदा करती है, तो ऐसे जोखिमों के लिए परिसंपत्ति स्तर के प्रबंधन की ज़रूरतों को शामिल करने के लिए क्लीनटेक ईएमएस को अपडेट किया जाना चाहिए।

4. परियोजना का संक्षिप्त विवरण

4.1 परियोजना

सोलर रूफटॉप परियोजनाएं भारत में ब्राउनफील्ड वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) इमारतों पर स्थापित की जाती हैं। खरीदार मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र (उदाहरण के लिए, ऑटोमोटिव, विमानन और एयरोस्पेस, कृषि, भवन और निर्माण, रसायन, खाद्य और पेय, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स) के साथ-साथ वाणिज्यिक, इंजीनियरिंग, शिक्षा में हैं। प्रत्येक रूफटॉप स्थापना के लिए, क्लीनटेक सुविधा मालिक के साथ छत के उस क्षेत्रफल के लिए एक पट्टा अनुबंध में प्रवेश करती है जिस पर कि सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। परियोजना के ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर हाउस भी सुविधा के परिसर में स्थित होते हैं। कोई अन्य संबद्ध सुविधाएं (यानी, ट्रांसमिशन लाइन,

सबस्टेशन) नहीं हैं। प्रत्येक परियोजना <1 MWp की है, हालाँकि बड़ी परियोजनाएँ (उदाहरण के लिए, औद्योगिक पार्कों में कई छतों पर) 5 MWp तक हो सकती हैं। क्लीनटेक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) ठेकेदारों के माध्यम से परियोजनाएं विकसित करती है। क्लीनटेक परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) ठेकेदारों को आउटसोर्स करती है और इसके दायरे में पैनलों की सफाई, माउंटिंग संरचनाओं का परीक्षण, विद्युत सर्किट रखरखाव आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ठेकेदार क्लीनटेक की परियोजना और ओ एंड एम टीमों के निर्देशों के तहत काम करते हैं।

परियोजना के उचित परिश्रम आकलन के समय, भारत में क्लीनटेक के रूफटॉप सोलर पोर्टफोलियो में 0.1 MWp से लेकर 5 MWp तक की वर्तमान परिसंपत्तियां (परिचालन या निर्माणाधीन परियोजनाएं), जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2 में दिया गया है साथ ही जहां क्लीनटेक छत पर सोलर परिसंपत्तियां विकसित करेगी वहां ग्राहकों की सुरक्षित और संभावित पाइपलाइनें शामिल थीं।

तालिका 2 : जुलाई 2018 तक क्लीनटेक की वर्तमान परिसंपत्तियों की स्थिति

[भारत में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स का विवरण खुलासा करने के लिए हटा दिया गया है]

क्लीनटेक जानकारी साझा करने और परिसम्पत्ति-विशिष्ट दस्तावेज़ों को दूर से प्राप्त करने, उनकी समीक्षा करने और अनुमोदन करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करती है। क्लीनटेक रियल टाइम आधार पर और साइट विज़िट करके, परिसंपत्ति की प्रगति और प्रदर्शन पर दूर से नज़र रखती है। क्लीनटेक के ईपीसी और ओ एंड एम ठेकेदारों को भी निर्माण और संचालन दोनों चरणों के दौरान रिपोर्ट देनी होगी।

4.2 पर्यावरणीय और सामाजिक अवलोकन

क्लीनटेक एचएसई ने ऐसे सिस्टम और मानक स्थापित किए हैं और अपडेट किए हैं जो सिंगापुर (बिज़सेफ स्टार) और अंतर्राष्ट्रीय मानकों (ओएचएसएएस 18001) को इसके सभी निर्माण और संचालन जिसमें क्लीनटेक भाग लेती है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों (ओएचएसएएस 18001) को पूरा करते हैं या उससे कहीं अधिक हैं। क्लीनटेक एचएसई प्लान में एचएसई प्रोटोकॉल शामिल हैं।

क्लीनटेक एचएसई नीति और एक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू करती है। क्लीनटेक की एचएसई नीति निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- हर समय लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनकी सुरक्षा करना और उनके सुधार के लिए प्रयास करना;
- गुणवत्ता वाली गैर-अनुरूपता और एचएसई दुर्घटनाओं को खत्म करना;
- ग्राहकों की बताई गई ज़रूरतों को पूरा करना और ग्राहकों की निरंतर संतुष्टि सुनिश्चित करना;
- हमारी सेवाओं और उत्पादों की डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में हमारे तकनीकी कौशल को एचएसई के सभी पहलुओं पर लागू करना;
- हितधारकों के साथ खुलकर बात करना और हमारी एचएसई नीतियों और मानकों की समझ सुनिश्चित करना; और
- काम से जुड़ी दुर्घटनाओं, अस्वस्थता, घटनाओं और होते-होते बची चूक के बारे में तुरंत रिपोर्ट करना।

अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन मानक ओएचएसएएस 18001 के अनुरूप एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। फरवरी 2018 में एक सर्टिफ़िकेशन ऑडिट किया गया था और उसे प्रमाणीकरण के लिए स्वीकृति दी गई थी।

सुरक्षा टीम का नेतृत्व एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबंधक (सिंगापुर से बाहर स्थित) और एक सहायक सुरक्षा प्रबंधक (भारत में स्थित) करते हैं। अन्य प्रमुख कर्मचारी (जैसे परियोजना मैनेजमेंट के प्रमुख, इंजीनियरिंग प्रमुख, संचालन प्रमुख और रखरखाव के प्रमुख और इंजीनियरिंग मैनेजर) ने भी सुरक्षा प्रशिक्षण कोर्स में भाग लिया है (उदाहरण के लिए सुपरवाइज़र के लिए ऊंचाई पर काम करना और परियोजना मैनेजरों के लिए कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कोर्स)।

काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण के कॉन्सेप्ट, सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना, जोखिम आकलन करना, उचित पीपीई पहनना आदि की अवधारणा प्रशिक्षण के जरिए समझायी जाती है। आंतरिक एचएसई प्रबंधन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, क्लीनटेक ने 30 से अधिक एनिमेटेड वीडियो तैयार किए हैं, जिसमें काम करने के सुरक्षित तरीकों के बारे में बताया गया है।

चित्र2: सुरक्षा प्रशिक्षण वीडियो

क्लीनटेक एचएसई केपीआई पर नज़र रखने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एचएसई प्रबंधन डैशबोर्ड का उपयोग करती है, जिसमें चोट लगना, चोट लगने से मुक्त दिन, होते-होते बची चूक, संपत्ति को नुकसान और सुरक्षा घटनाएं शामिल हैं।

2018 में पर्यावरण की एक नई पहल के तौर पर, सभी क्लीनटेक साइटों में वाटर गेज मीटर तैनात किए गए थे। इन मीटरों को सफाई की गतिविधियों से पहले और बाद में पढ़ा जाता या इनका फोटो खींचा जाता है। इससे ठेकेदारों को साइट पर गंदगी जमा होने के पैटर्न के आधार पर पानी की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करने पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।

क्षतिग्रस्त और छोड़े गए पैनल को वापस लेना ईपीसी ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है। जैसा कि क्लीनटेक ने बताया है, ईपीसी ठेकेदार मॉड्यूल के निपटान के लिए उपयुक्त कंपनी की पहचान करेगा। प्लांट के संचालन के दौरान, क्षतिग्रस्त मॉड्यूल की देखभाल करना क्लीनटेक की ज़िम्मेदारी है। जैसा कि क्लीनटेक ने बताया है, वे मॉड्यूल के निपटान के लिए उपयुक्त कंपनी की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं।

क्लीनटेक ने सभी प्रासंगिक हितधारकों की पहचान कर ली है, जैसे कि भवन का मालिक, बिल्डिंग सुविधा विभाग, ईपीसी/ओ एंड एम ठेकेदार और स्थानीय प्राधिकारी।

5. पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों/प्रभावों का आकलन

नीचे दी गई तालिका में एचएसएसई के जोखिमों और क्लीनटेक की गतिविधियों और इसके ठेकेदारों और प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े संभावित प्रभावों का आकलन दिया गया है। ख़ास तौर पर, इस आकलन से क्लीनटेक ईएमएस और संदर्भ फ्रेमवर्क (ख़ास तौर से आईएफसी पीएस) के साथ इसके अनुपालन का आकलन किया गया है, साथ ही परिसम्पत्ति स्तर पर आईएफसी के अनुरूप एचएसएसई प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इसकी पर्याप्तता का आकलन किया गया है। आकलन में उन जोखिमों/प्रभावों के बारे में विचार किया गया है जो आमतौर पर क्लीनटेक परिसंपत्तियों और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, और जिसकी उम्मीद उस पर्यावरणीय और सामाजिक सेटिंग को देखते हुए की जा सकती है, जिसमें क्लीनटेक एसेट्स स्थित होने की संभावना है।

क्लीनटेक की मौजूदा परिसंपत्तियों (जुलाई 2018 के अनुसार) के लिए संपत्ति के स्तर पर जोखिम/प्रभावों का आकलन भी किया गया है। इन संपत्तियों की समीक्षा इस उदाहरण के तौर पर भी की गई कि कैसे क्लीनटेक की ईएसएमएस आवश्यकताएँ परिसम्पत्ति स्तर पर लागू की जाती हैं, और सामान्य तौर पर संदर्भ फ़्रेमवर्क के विरुद्ध परिसंपत्ति स्तर के एचएसएसई व्यवस्थाओं की पर्याप्तता क्या है।

तालिका 3: पर्यावरणीय और सामाजिक के जोखिमों/प्रभावों का आकलन

संदर्भ फ़्रेमवर्क	जोखिम/प्रभाव और विवरण	जोखिम आकलन से जुड़ी जानकारी	
		क्लीनटेक (कॉर्पोरेट स्तर)	रूफटॉप सोलर ऐसेट्स
आईएफसी पीएस1	**अपर्याप्त पर्यावरणीय और सामाजिक संसाधन, ज़िम्मेदारियाँ और संगठनात्मक ढांचा** पर्याप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित पर्यावरणीय और सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अभाव में संदर्भ फ़्रेमवर्क का अनुपालन न करने का जोखिम बढ़ जाता है।	**मध्यम जोखिम** सीएसए के सिंगापुर और भारत में कर्मचारी हैं, जिनका ध्यान व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पर केंद्रित है। परिसंपत्तियों की क्लीनटेक पाइपलाइन से जुड़े एचएसएसई जोखिमों और प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अतिरिक्त दक्षताओं की भी ज़रूरत होती है, जिनमें परिसम्पत्ति स्तर पर ईपीसी और ओ एंड एम ठेकेदारों की निगरानी भी शामिल है। वर्तमान में, ईएसएमएस के कार्यान्वयन को प्रबंधित करने या पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए कोई पर्यावरणीय और सामाजिक संसाधन नहीं है, जो कि ईएसएपी को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए सीआई 1 के लिए आवश्यक होगा।	**कम जोखिम** पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए ईपीसी और ओ एंड एम के पास पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन परिसंपत्ति के स्तर के दस्तावेज़ों में संगठनात्मक ढांचे और ज़िम्मेदारियों (ख़ासकर पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में) को हमेशा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था।

संदर्भ फ़्रेमवर्क	जोखिम/प्रभाव और विवरण	जोखिम आकलन से जुड़ी जानकारी	
		क्लीनटेक (कॉर्पोरेट स्तर)	रूफटॉप सोलर ऐसेट्स
आईएफसी पीएस1	**संदर्भ फ़्रेमवर्क का अनुपालन न करना** संदर्भ फ़्रेमवर्क की आवश्यकताएँ वे प्रमुख मापदंड हैं जिनके द्वारा निवेशक और अन्य हितधारक किसी दी गई गए परियोजना की पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता के बारे में निर्णय लेते हैं। इन ज़रूरतों का पालन न करने पर जोखिम और प्रभावों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता है, परियोजना में विलंब/टकराव हो सकता है, जो फ़ाइनेंसिंग संस्था को प्रभावित कर सकता है।	**ज़्यादा जोखिम** आईएफसी आवश्यकताएँ फ़िलहाल क्लीनटेक द्वारा नहीं अपनाई गई हैं और नई ज़रूरतों को दर्शाने के लिए नीतियों, ईएमएस और अन्य दस्तावेज़ों को अपडेट करना होगा।	**ज़्यादा जोखिम** नीतियों को अपडेट किया जाना चाहिए ताकि वे क्लीनटेक की सभी गतिविधियों और परियोजना पर लागू हों, जिसमें यह भी शामिल है कि क्लीनटेक की ओर से तीसरे पक्ष के द्वारा कहाँ गतिविधियाँ की जाती हैं।
आईएफसी पीएस1	**ईएमएस सभी संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का समाधान नहीं कर रहा है** इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभावों की पहचान, आकलन और उन्हें कम नहीं किया जा सकता है।	**ज़्यादा जोखिम** आईएफसी- अनुपालन वाला ईएसएमएस विकसित नहीं किया गया है। पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन (श्रम और काम करने की स्थितियों सहित) के लिए आईएफसी के अनुरूप व्यवस्थाओं को विकसित करने की ज़रूरत है। क्लीनटेक ईएमएस को प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, ताकि परिसम्पत्ति स्तर के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का पर्याप्त प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके, जैसे: • एचएसएसई प्रदर्शन निगरानी और ऑडिट प्रक्रिया • पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम स्क्रीनिंग	**मध्यम जोखिम** मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए एचएसएसई दस्तावेज़ों को मोटे तौर पर संदर्भ फ़्रेमवर्क के साथ संरेखित किया गया है, लेकिन सुधार के कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है: • परिसम्पत्ति स्तर पर पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता का अभाव • अधूरे जोखिम आकलन/रजिस्टर

संदर्भ फ़्रेमवर्क	जोखिम/प्रभाव और विवरण	जोखिम आकलन से जुड़ी जानकारी	
		क्लीनटेक (कॉर्पोरेट स्तर)	रूफटॉप सोलर ऐसेट्स
आईएफसी पीएस1	**एचएसएसई प्रदर्शन रिपोर्टिंग:**	**कम जोखिम** क्लीनटेक एचएसई केपीआई पर नज़र रखता है और उन्हें ट्रैक करती है, जिसमें चोट लगने, चोट लगने से मुक्त दिन, होते-होते बची चूक, संपत्ति से होने वाले नुकसान और सुरक्षा घटनाएं शामिल हैं, हालाँकि, इसमें सीएफएम ईएमएस के ज़रिये आवश्यक केपीआई शामिल नहीं हैं।	**कम जोखिम** परियोजना से रिपोर्टिंग डेटा इकट्ठा किया जाता है। केपीआई को शामिल करने के लिए एचएसएसई केपीआई का विस्तार करना होगा।
आईएफसी पीएस2 स्थानीय कानून	**श्रम और काम करने की स्थितियों की अपर्याप्त निगरानी** श्रम और काम करने की स्थितियों के लिए आवश्यकताएँ, जिसमें आईएफसी पीएस2 के संदर्भ भी शामिल हैं, शामिल नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुपालन न हो सकता है	**मध्यम जोखिम** क्लीनटेक की मानव संसाधन (HR) नीति है और कॉर्पोरेट स्तर पर एचआर का प्रबंधन एक मानव संसाधन प्रबंधक द्वारा किया जाता है। क्लीनटेक के निर्माण और/या संचालन के दौरान परियोजनाओं पर श्रम और काम करने की स्थितियों की देखरेख करने के बहुत कम प्रमाण हैं। मौजूदा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में आईएफसी पीएस2 का कोई संदर्भ नहीं है।	**कम जोखिम** ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और ओ एंड एम अनुबंधों के सैंपल के अनुसार, ठेकेदार के काम करने वाले स्टाफ़ के लिए सभी श्रम और काम करने की शर्तें (पीपीई सहित) के प्रावधान, सब-कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की है। क्लीनटेक और मेज़बान कंपनी के कर्मचारियों ने पुष्टि की कि काम के दौरान कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण प्रदान करने जैसे प्रावधान दिए गए हैं, जैसे स्टील से ढके जूते (स्टील टो-कैप्ड जूते), हार्ड हैट (हेलमेट), दस्ताने, सुरक्षा बेल्ट जैसे प्रावधान दिए गए हैं। क्लीनटेक इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, हालाँकि, हस्ताक्षरित ईपीसी/ओ एंड एम अनुबंध में इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। क्लीनटेक ने बताया कि इस बिंदु को अनुबंधों में जोड़ा जाएगा।

संदर्भ फ़्रेमवर्क	जोखिम/प्रभाव और विवरण	जोखिम आकलन से जुड़ी जानकारी	
		क्लीनटेक (कॉर्पोरेट स्तर)	रूफटॉप सोलर ऐसेट्स
इफ़सी पीएस3	**संसाधन दक्षता/वेस्ट मैनेजमेंट** संपत्ति की छोटे पैमाने पर प्रकृति और निर्माण गतिविधियों की छोटी अवधि के कारण, संपत्ति के स्तर पर इस संबंध में जोखिम आम तौर पर कम होते हैं, लेकिन फिर भी इस संबंध में ईएसएमएस के प्रावधान आईएफसी पीएस3 आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए।	**कम जोखिम** क्षतिग्रस्त और छोड़े गए पैनल को वापस लेना ईपीसी ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है। जैसा कि क्लीनटेक ने बताया है, ईपीसी ठेकेदार मॉड्यूल का इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त कंपनी की पहचान करेगा। प्लांट के संचालन के दौरान, क्षतिग्रस्त मॉड्यूल की देखभाल करना क्लीनटेक की ज़िम्मेदारी है। जैसा कि क्लीनटेक ने बताया है, वे मॉड्यूल को डिस्पोज़ करने के लिए उपयुक्त कंपनी की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं। क्लीनटेक को यह पहचानना होगा कि मॉड्यूल को रीसायकल किया जा सकता है या नहीं और किसी उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार की पहचान करनी होगी।	**लागू नहीं** साइट विजिट के दौरान यह देखा गया है कि साइट पर अपशिष्ट पदार्थों के कोई भी स्रोत जैसे क्षतिग्रस्त/फेंक दिए गए पैनल जमा नहीं हैं।
सीएफएम एसएमएस	**समुदाय का विकास** सीएफएम आवश्यकताओं का अनुपालन न किए जाने के जोखिम को छोड़कर अन्य जोखिम सीमित होने के बावजूद, सामुदायिक विकास गतिविधियों के ज़रिये प्रभाव उत्पन्न करने और काम करने के लिए सामाजिक लाइसेंस प्राप्त करने के अवसर हैं।	**कम जोखिम** सीआई 1 के सामुदायिक विकास फ़्रेमवर्क के अनुसार एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकसित करना और उसे लागू करना, जिसमें वार्षिक आधार पर सामुदायिक विकास पहलों के लिए कार्यान्वयन योजना की वार्षिक समीक्षा और विकास और कार्यान्वयन शामिल है।	**लागू नहीं** सामुदायिक विकास एक कॉर्पोरेट कार्यक्रम होगा।

6. परियोजना जोखिम श्रेणी

सीएफएम/सीआई1 ईएसएमएस के अनुसार, तालिका 4 में प्रस्तुत श्रेणियों के विवरण के आधार पर, परियोजना को एक समग्र पर्यावरण एवं सामाजिक जोखिम रेटिंग (जोखिम श्रेणी) दी जाती है।

तालिका 4: जोखिम श्रेणी की परिभाषा

जोखिम की श्रेणी	विवरण
श्रेणी ए (भारी जोखिम) *आईएफसी श्रेणी ए के बराबर*	परियोजना के पर्यावरण और प्रभावित आबादी की सामाजिक स्थितियों पर संभावित महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव और जोखिम हैं और/या ऐसे प्रभाव हैं जो विविध, अपरिवर्तनीय या अभूतपूर्व हैं। इस तरह के प्रभाव और जोखिम एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, जो निर्माणाधीन सुविधा की साइट के बाहर है, सुविधा के साथ-साथ किसी भी संबद्ध सुविधा या परियोजना क्षेत्र को भी संकीर्ण अर्थ में प्रभावित कर सकते हैं। [1] ।
श्रेणी बी+ (मध्यम उच्च जोखिम) *आईएफसी श्रेणी बी के बराबर*	परियोजना से सामाजिक या पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो आम तौर पर श्रेणी ए प्रोजेक्ट्स की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन परियोजना साइट की सीमाओं के बाहर भी होते हैं/हो सकते हैं, काफी हद तक उलटने योग्य हैं और प्रासंगिक शमन उपायों या मानक समाधानों के जरिए इनका समाधान किया जा सकता है।
श्रेणी बी (मध्यम कम जोखिम वाला) *आईएफसी श्रेणी बी के बराबर*	इस परियोजना से सामाजिक या पर्यावरणीय जोखिम और प्रभावों के सीमित *प्रतिकूल* प्रभाव होने की उम्मीद है। प्रभाव और जोखिम आम तौर पर परियोजना साइट तक ही सीमित होते हैं, ज़्यादातर मामलों में उलटे जा सकते हैं और आमतौर पर प्रासंगिक शमन उपायों या मानक समाधानों के ज़रिये इन्हें कम किया जा सकता है।
श्रेणी C (कम जोखिम) *आईएफसी श्रेणी सी के बराबर*	परियोजना से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव *या जोखिम नहीं होने की उम्मीद है या केवल मामूली प्रतिकूल* प्रभाव या जोखिम होंगे और परियोजना के कार्यान्वयन और संचालन के लिए किसी विशेष सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, निगरानी के उपाय या प्रबंधन योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुभाग 5 में प्रस्तुत पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की इन परिभाषाओं और आकलन के आधार पर, परियोजना को **श्रेणी बी** परियोजना के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

अनुभाग 5 में प्रस्तुत पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की इन परिभाषाओं और आकलन के आधार पर, परियोजना को श्रेणी बी (मध्यम से कम जोखिम) (सीआई 1 के जोखिम वर्गीकरण के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) श्रेणी बी के बराबर है, जबकि कुछ संभावित महत्वपूर्ण जोखिम/प्रभावों की पहचान की गई है, ये आम तौर पर सीमित, संख्या में अपेक्षाकृत कम, साइट-विशिष्ट (परिसम्पत्ति स्तर पर), काफी हद तक उलटने योग्य और पहचान किए गए शमन उपायों के ज़रिये आसानी से हल किए जा सकते हैं। यह भारत में श्रम और स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित प्रासंगिक

[1]सिद्धांत के तौर पर, क्लीनटेक किसी भी श्रेणी ए प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ेगी और अगर किसी संभावित श्रेणी ए प्रोजेक्ट की पहचान हो जाती है, तो वह निवेशकों से आगे सलाह लेगी।

जोखिमों को दर्शाता है। निवेश की प्रकृति को देखते हुए, जिसमें मौजूदा कार्यालय भवन और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक परिसरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन शामिल हैं, संभावित प्रभाव बहुत कम होंगे, साइट-विशिष्ट होंगे, और आसानी से प्रबंधित/कम किए जाएंगे। परियोजनाओं की प्रकृति और सीमित संभावित प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए ईएसआईए की आवश्यकता नहीं है।

7. पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ईएसएपी)

नीचे दी गई तालिका में संभावित जोखिमों/प्रभावों को कम करने और परियोजना के द्वारा पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ फ्रेमवर्क आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है। प्रस्तावित शमन उपाय, परियोजना की पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना का आधार बनेंगे, जिस पर सीआई 1 और क्लीनटेक के बीच सहमति बनाई जानी होगी, ताकि परियोजना द्वारा लागू की जाने वाली आवश्यक पर्यावरणीय और सामाजिक कार्रवाइयों, समय-सीमा, डिलीवरी और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया जा सके।

तालिका 5: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम/प्रभाव को कम करने के उपाय

#	संदर्भ	आवश्यकताएँ
1.	आईएफसी पीएस1 सीएफएम एसएमएस	पर्यावरणीय और सामाजिक स्टाफ़िंग: यह सुनिश्चित करने के लिए एचएसएसई प्रबंधन और परिसंपत्ति-स्तर की निगरानी को मजबूत किया जाना चाहिए कि ऐसी आवश्यक योग्यताएं और क्षमताएं मौजूद हों, जो सीएफएम के अनुमोदन के अधीन हैं, जिनमें निम्नलिखित इत्यादि बातें शामिल हैं, (i) ईएसएपी कार्यान्वयन; (ii) आईएफसी के अनुरूप एचएसएसई प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) का कार्यान्वयन; (iii) प्रस्तावित परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को जानने के लिए उचित परिश्रम करना; (iv) आईएफसी के अनुरूप परियोजना स्तरीय ईएसएमएस का विकास और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और अनुपालन लागू करना; (v) निर्माण और संचालन के दौरान परियोजना और ठेकेदार (एचएसएसई) के प्रदर्शन की निगरानी करना; और (vi) एचएसएसई निवेशकों को रिपोर्ट करना। कॉर्पोरेट और परियोजना दोनों स्तरों पर काम करने और सीएफएम की ईएसजी टीम के साथ संपर्क के मुख्य बिंदु के रूप में काम करने के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक विशेषज्ञ को नियुक्त करना।
2.	आईएफसी पीएस1 सीएफएम ईएसएमएस	एचएसएसई नीति: क्लीनटेक एचएसएसई नीति वक्तव्यों को सीआई 1 आवश्यकताओं के अनुरूप अपडेट करें, जिसमें निम्नलिखित इत्यादि प्रतिबद्धताओं के बारे में वक्तव्य शामिल हैं: • एचएसएसई अभिशासन और संगठन • जलवायु में बदलाव • मानव अधिकार • लैंगिक समानता • समुदाय का विकास • निगरानी और रिपोर्ट करना

#	संदर्भ	आवश्यकताएँ
3.	आईएफसी पीएस1 सीएफएम एसएमएस	ईएसएमएस: एक ईएमएस आवश्यक है जो आईएफसी पीएस1 और सीएफएम के ईएसएमएस की ज़रूरतों के अनुरूप हो। इसे स्टैंडअलोन सिस्टम के तौर पर विकसित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, मौजूदा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का विस्तार किया जा सकता है और इसका नाम बदलकर पर्यावरण और सामाजिक तत्वों को शामिल किया जा सकता है। ईएमएस में आईएफसी के प्रदर्शन के सभी आठ मानकों के अनुरूप पर्यावरण और सामाजिक के सभी पहलुओं के प्रबंधन का प्रावधान होना चाहिए। इसे कॉर्पोरेट और परियोजना स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
4.	आईएफसी पीएस1 सीएफएम एसएमएस	एचएसएसई प्रदर्शन रिपोर्टिंग: प्रदर्शन से जुड़ी मौजूदा रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी शर्तों के अनुपालन के लिए एक प्रक्रिया तैयार करें, जैसा कि नीचे बताया गया है: • मासिक एचएसएसई केपीआई डेटा और तिमाही रिपोर्ट को कंपाइल करें और सीएफएम को सबमिट करें। • दुर्घटनाओं और घटनाओं की रिपोर्ट सीएफएम को दें • अनुरोध के मुताबिक, ठेकेदार एचएसएसई के प्रदर्शन के बारे में सीएफएम को रिपोर्ट करें।
5.	आईएफसी पीएस1 सीएफएम एसएमएस	शिकायत निवारण तंत्र: क्लीनटेक कॉर्पोरेट स्तर पर एक शिकायत तंत्र स्थापित करेगा, जिसे बाहरी हितधारक बिना किसी प्रतिकार के और समय पर प्रतिक्रिया के आश्वासन के साथ टिप्पणियां, प्रश्न, चिंताएं, शिकायतें और फ़ीडबैक सबमिट कर सकें। कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाएगा।
6.	आईएफसी पीएस2 सीएफएम एसएमएस	श्रम और काम करने की शर्तें: आईएफसी पीएस 2 और संबंधित मार्गदर्शन नोट के अनुसार, श्रम के सभी पहलुओं और कर्मचारियों की कामकाजी स्थितियों (प्रत्यक्ष, एजेंसी और सप्लाई चेन लेबर के लिए) के प्रबंधन के लिए ईएसएमएस/ मौजूदा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट व्यवस्थाओं में शामिल करें। देखें: आईएफसी पीएस 2 गाइडेंस नोट
7.	इफ़सी पीएस3 सीएफएम एसएमएस	संसाधन दक्षता/ अपशिष्ट प्रबंधन: उपयोग अवधि समाप्त हो चुके पीवी पैनल के पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण/सुरक्षित निपटान के लिए टिकाऊ विकल्पों के शोध और विकास में योगदान देना।
8.	सीआई 1 एसएमएस	समुदाय का विकास: सीआई 1 के सामुदायिक विकास फ़्रेमवर्क के अनुसार एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकसित करना और उसे लागू करना, जिसमें वार्षिक आधार पर सामुदायिक विकास पहलों के लिए कार्यान्वयन योजना की वार्षिक समीक्षा और विकास और कार्यान्वयन शामिल है।

8. निष्कर्ष

क्लीनटेक ज़्यादा असर वाली कार्बन कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करके भारत भर में सी एंड आई क्षेत्र में वितरित सौर ऊर्जा को बढ़ा रहा है, जो अन्यथा इस क्षेत्र के कार्य प्रदान करने के दौरान लागू नहीं होती।

ऐसा करने में, क्लीनटेक न केवल संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में योगदान देता है, बल्कि एचएसएसई जागरूकता और क्लीनटेक के ठेकेदारों के प्रदर्शन को बढ़ाने में भी योगदान देता है।

इस आकलन ने लागू पर्यावरण एवं सामाजिक संदर्भ ढांचे, विशेष रूप से आईएफसी पीएस के संबंध में परियोजना से जुड़े प्रमुख एचएसएसई जोखिमों और प्रभावों की पहचान की। आकलन के लिए जानकारी बड़े पैमाने पर सीएफएम (सीआई1 की ओर से) द्वारा नियुक्त और टीयूवी द्वारा संचालित एक बाहरी पर्यावरण एवं सामाजिक 'लाल झंडे' उचित परिश्रम आकलन द्वारा दी गई थी। टीयूवी के आकलन में उपलब्ध परियोजना दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा और मौजूदा क्लीनटेक परिसंपत्तियों की साइट विज़िट शामिल थी।

आकलन में किसी भी घातक खामी या 'लाल झंडा' की समस्या की पहचान नहीं की गई, जो क्लीनटेक में सीआई 1 द्वारा निवेश को रोक देगी। सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने और सुरक्षा प्रभावों को कम करने के लिए सिस्टम स्थापित करने और योजना बनाने के संबंध में क्लीनटेक द्वारा पहले से ही की गई स्पष्ट प्रतिबद्धता और प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। आकलन में पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन प्रणाली योजना, एचएसएसई प्रबंधन क्षमता, स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यान्वयन और परिसंपत्ति एचएसएसई प्रदर्शन पर निगरानी और रिपोर्टिंग से जुड़े पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की पहचान की है, जिन पर परियोजना को पर्यावरणीय और सामाजिक संदर्भ फ़्रेमवर्क के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देना होगा।

अनुपालन में खामियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाइयों की पहचान की गई है:

1. एचएसएसई स्टाफ़िंग: क्लीनटेक के एचएसएसई प्रबंधन और परिसम्पत्ति-स्तर निरीक्षण को मज़बूत किया जाना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि ज़रूरी योग्यताएं और क्षमताएँ सही हों।
2. एचएसएसई नीति: क्लीनटेक के एचएसएसई नीति विवरणों को अपडेट करें ताकि वे सीआई1 आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकें।
3. ईएसएमएस: एक ईएमएस आवश्यक है जो आईएफसी पीएस1 के अनुरूप हो और सीएफएम के ईएसएमएस की ज़रूरतें हों। इसे स्टैंडअलोन सिस्टम के तौर पर विकसित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, मौजूदा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का विस्तार किया जा सकता है और इसका नाम बदलकर पर्यावरण और सामाजिक तत्वों को शामिल किया जा सकता है। ईएमएस में आईएफसी के प्रदर्शन के सभी आठ मानकों के अनुरूप पर्यावरण और सामाजिक के सभी पहलुओं के प्रबंधन का प्रावधान होना चाहिए। इसे कॉर्पोरेट और परियोजना स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
4. एचएसएसई प्रदर्शन रिपोर्टिंग: चल रही प्रदर्शन रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरतों के अनुपालन हेतु एक प्रक्रिया लागू करें।
5. शिकायत निवारण तंत्र: क्लीनटेक एक शिकायत तंत्र स्थापित करेगा, जिसे कॉर्पोरेट स्तर पर अपनाया जाएगा, ताकि बाहरी हितधारक बिना किसी प्रतिशोध के और समय पर प्रतिक्रिया के आश्वासन के साथ टिप्पणियां, प्रश्न, चिंताएं, शिकायतें और फ़ीडबैक सबमिट कर सकें। कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाएगा।
6. श्रम और काम करने की शर्तें: आईएफसी पीएस 2 और संबंधित मार्गदर्शन नोट के अनुसार, श्रम के सभी पहलुओं और कार्यबल के काम करने की स्थितियों (प्रत्यक्ष, एजेंसी और सप्लाई चेन श्रम के लिए) के प्रबंधन के लिए ईएसएमएस/मौजूदा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट व्यवस्था में शामिल करें।

7. संसाधन दक्षता/कचरा प्रबंधन: उपयोग अवधि समाप्त हो चुके पीवी पैनल के पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण/सुरक्षित निपटान के लिए टिकाऊ विकल्पों के शोध और विकास में योगदान दें।
8. सामुदायिक विकास: सीआई 1 के सामुदायिक विकास फ़्रेमवर्क के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकसित करें और उसे लागू करें।

प्रस्तावित कार्रवाइयां, इस आकलन में पहचाने गए प्रमुख पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों को दूर करने के लिए, ईएसएपी का आधार बनेंगी, जिसके कार्यान्वयन के लिए क्लीनटेक और सीआई 1 के बीच सहमति बनी रहेगी।

अनुलग्नक: मौजूदा परिसम्पत्ति फ़ोटो लॉग

तस्वीरें खुलासा करने के उद्देश्य से हटाई गई हैं।